

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)
// परिपत्र //

क्रमांक ०१...../परिपत्र नस्ती/2026,

देवास, दिनांक २०/०१/2026

प्रायः यह देखने में आ रहा है, कि जिला न्यायालय देवास एवं तहसील मुख्यालय सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द में सिविल न्यायालय के आदेशानुसार सी.सी.डी. राशि सी.सी.डी. हेड में ऑनलाईन माध्यम से जमा तो की जा रही है, लेकिन ऑनलाईन रसीद/चालान की प्रति संबंधित नजारत अनुभाग में पेश नहीं की जा रही है, जिससे सी.सी.डी. खाते में जमा राशि का नजारत अनुभाग में संधारित मैनुअल सी.सी.डी. रजिस्टर में इंद्राज नहीं हो पा रहा है, जिससे मैनुअल संधारित पंजी में जमा राशियों का मिलान कोषालय में जमा राशि से नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप पक्षकारों को भुगतान की कार्यवाही के समय असुविधा होती है।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारी एवं प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय देवास एवं तहसील मुख्यालय सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द को लिखा जाता है, कि सिविल न्यायालय के आदेशानुसार यदि पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा सी.सी.डी. की राशि सी.सी.डी. हेड में ऑनलाईन माध्यम से जमा की जाती है तो आनलाईन रसीद/चालान की प्रति पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात् संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार से, उसकी एक प्रति नजारत अनुभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

— sd —

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)

क्रमांक २५५...../परिपत्र नस्ती/2026,

देवास, दिनांक २०/०१/2026

प्रतिलिपि-

- 01- समस्त न्यायाधीश, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन संबंधित कर्मचारी से करावाया जाना सुनिश्चित करें।
- 02- समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रस्तुतकार/जिला नाजिर/नायब नाजिर) देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द, की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 03- जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय देवास की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आदेश की प्रति बेवसाईट पर अपलोड करें।

— sd —

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓देवास (म.प्र.)